प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक– 30 जून, 2026
(प्रेस विज्ञप्ति सं0–80/2026)

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना

भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में सफलता

श्री कुणाल प्रियदर्शी, प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, चैनपुर, सम्पतचक, जिला– पटना 50,000/– (पचास हजार) रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा आज दिनांक 30.06.2026 को निगरानी थाना कांड सं0–076/26, दिनांक 30.06.2026 में **प्राथमिकी अभियुक्त– श्री कुणाल प्रियदर्शी, प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, चैनपुर, सम्पतचक, जिला– पटना** को **50,000/– (पचास हजार)** रूपये रिश्वत लेते हुए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, चैनपुर सम्पतचक, जिला– पटना स्थित अपने कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया गया है।

परिवादी श्री अरूण कुमार सिंह, पिता– श्री परमानन्द सिंह, सा0– गवसपुर, थाना– गौरीचक, जिला– पटना द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराया गया था कि आरोपी (जो प्रधानाध्यापक है) के द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में सफल परीक्षार्थियों का अंक प्रमाण पत्र एवं सी0एल0सी0 कुल 152 सफल परीक्षार्थी हेतु 400 रुपये के हिसाब से रिश्वत की माँग की जा रही है।

ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। प्रथम द्रष्टया आरोप सही पाये जाने के पश्चात् उपरोक्त कांड अंकित कर अनुसंधानकर्त्ता **श्री विन्ध्याचल प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना** के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया।

धावादल द्वारा कार्रवाई करते हुए **प्राथमिकी अभियुक्त– श्री कुणाल प्रियदर्शी, प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, चैनपुर, सम्पतचक, जिला– पटना** को **50,000/– (पचास हजार)** रूपये रिश्वत लेते हुए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, चैनपुर सम्पतचक, जिला– पटना स्थित अपने कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना में उपस्थापित किया जायेगा। अग्रतर अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना का वर्ष 2026 में भ्रष्टाचार के विरूद्ध यह 76वाँ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई है। जिसमें यह ट्रैप संबंधी 71वाँ कांड है, जिसमें कांड दर्ज कर अभी तक कुल 70 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है तथा रिश्वत की कुल बरामद राशि 27,55,300/– (सताईस लाख पचपन हजार तीन सौ) रूपये है। पिछले वर्ष 2025 में कुल 101 ट्रैप कांड दर्ज किये गये थे एवं रिश्वत की राशि 37,80,300/– रुपये बरामद किये गये थे।